राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 330/2012/जैसलमेर
मैसर्स ईसेल एण्टरप्राइजेज
जैसलमेर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–जैसलमेर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री एम.एल.नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
कोई नहीं — अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 9/आरवैट/बाडमेर/10–11 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसाई द्वारा दिए गए पंजीयन हेतु आवेदन में व्यवसाय की प्रकृति Mineral water (Packed & Loose water) का निर्माण गया था तथा प्रोविजन सामान की ट्रेडिंग करने की प्रकृति के साथ ही उसने निर्माण करने हेतु वाटर प्लान्टस आदि क्रय करने की प्रविष्टियॉ दर्शाई थी। व्यवसायी की पंजीयन जांच रिपोर्ट में भी मिनरल वाटर का निर्माण करने व क्रय करने की जानकारी दी गई थी उसी सम्बन्ध में मशीनरी खरीदने हेतु घोषणा पत्र की आवश्यकता बताई गई परन्तु व्यवहारी द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु Mineral water and sold in container को कर मुक्त दर्शाया गया था, जिसे सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–जैसलमेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने सही नहीं मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात व्यवहारी द्वारा बिकीत Mineral water and sold in container को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए कर एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया,जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज तथा शास्ति को उचित मानते हुए अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2011 से क्षुब्ध होकर यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से बहस के दौरान कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है किन्तु उसकी ओर से लिखित बहस प्रेषित की है, जिसमें कथन किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्योफाईड वाटर का विक्रय किया गया है,जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने मिनरल वाटर मानकर कर कर रू.79,186/– एवं ब्याज रू. 21,743/–आरोपित किया है,जो कानून के विरूद्ध एवं अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना और बिना भौतिक सत्यापन के कार्यवाही सम्पादित की गई है,जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने फिल्टर/प्योरीफाईंग वाटर प्लान्ट स्थापित (साफ पीने योग्य पानी) किया है और उसका विक्रय खुले कन्टेनर/जार में पानी भरकर विक्रय किया है जिसके साथ दिये गये कन्टेनर/जार की वापसी होती है, जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र इन्द्राज किया हुआ है। उनका कथन है कि That water other than aerated, mineral, distilled, midicinal, ionic,battery, de-mineralized water and water sold in container is exempted under schdule-1 of RVAT Act की गलत व्याख्या करके कर एवं ब्याज आरोपित किया है। उन्होंनें लिखित बहस यह भी अंकित किया है कि THE THAT HONOURABLE ADDITIONAL COMMISSIONER (I.T.)IN P.S(C) 202/ TAXRATE/ ACCT/VAT&IT/10 MAMTA COLD INDUSTRIES,JAIPUR TIN 08914152234 DATE OF DECISION 25.10.2010 HELD THATWATER SUPPLIED IN CAMPER (PLASTIC JAR/BUCKET) IN NOT TAXABLE AS SUCH. THE COURT HELD THAT A PROCESS OF PURIFICATION OF UNDER GROUND WATER IN ORDER TO MAKE IT DRINKABLE WATER, IS NOT IN THECRITERIA OF TAXABILITY, UNDER THE PROVISIONS OF RVAT ACT.

THAT INTENSION OF THE GOVERNMENT TO LEVY TAX IS ON AERATED,MINERAL,DISTILLED, MEDICONAL,IONIC,BATTERY, DE-MINERALIZED WATER ONLY AND NOT ON SIMPLE PURIFIED/FILTERED WATER.

उन्होंने लिखित बहस में पुनः इस कथन पर बल दिया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, किन्तु कर एवं ब्याज आरोपित करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट आफ केरल बनाम एम.एम.मैथ्यू (1978) 42 एस टी सी 348(एस.सी.) उद्धरित किया। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार अपीलार्थी व्यवहारी का मुख्य व्यवसाय मिनरल वाटर विक्रय करने का है, उसी सन्दर्भ में उसके

द्वारा मशीनरी खरीद की गयी तथा मशीनों में उनके द्वारा सामान्य पानी को मशीन के जरिए प्यूरीफाई कर एवं चिलिंग प्लान्टस की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात पेट बोटल में भरकर विक्रय किया जा रहा है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बताया गया है कि यह पानी उनके द्वारा व्यवसाय स्थलों एवं घरों में सप्लाई किया जाता है जो पेट बोटल सहित किया जाता है तथा पेट बोटल को लिड पैक कर दिया जाता है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया है कि जल को केवल प्यूरीफायर मशीन एण्ड चिलिंग मशीन के जरिए शुद्ध जल के रूप में वाटर केम्पर में खुले रूप में विक्रय किया जाता है जो अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा पारित आदेश P.5(c)202/TaxRate/ACCT/VAT&IT/10 dated 25.10.2010 का हवाला देते हुए बताया कि उसमें अधिनियम के सेडयूल 1 की प्रविष्टि संख्या 36 में अंकित वाटर से अभिप्राय को निर्मित किया गया है, जो कर मुक्त है। प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वेट अधिनियम की अनुसूची–। की प्रविष्ठि संख्या 36 का अवलोकन किया जाना जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

36. Water other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized water and water sold in container.

उक्त प्रविष्ठि का स्पष्ट आशय है कि कन्टेनर सहित विक्रय किया जाने वाला प्रसंस्करित जल (Processed Water) अर्थात् 1 लीटर व 2 लीटर की बोतलों में भरकर विक्रय किये जाने वाला पानी ही कर योग्य है, इसके अतिरिक्त अन्य पानी करमुक्त है, जैसा कि हस्तगत प्रकरण में किया गया है। जबकि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में केवल पानी का विक्रय किया गया है, कैम्पर का उपयोग पानी के सुगम एवं सुरक्षित परिवहन के लिये किया गया है, ना कि विक्रय के लिये।

इसी प्रकार का मत राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 182/2010/कोटा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, कोटा बनाम मैसर्स पार्थ इण्डस्ट्रीज,एच–323(डी) रोड नं. 6, IPEA, कोटा, निर्णय दिनांक 10.02.2015, (1997) 21 आर.टी.जे.एस. 149 (आर.टी.टी.) मैसर्स आर. एन. प्रोडक्ट्स, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, जोधपुर तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स सरिता वाटर सिस्टम्स में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2004 में भी प्रतिपादित किया गया है कि पानी को प्रोसेस एवं शीतल करके कैम्पर में बेचे जाने पर कर आरोपणीय नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश 25.10.2011 उचित नहीं होने से उसे अपास्त कर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

18/01/16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)